Some Of The Biggest Global Crypto Scams

Ponzi Schemes	Key Accused	Scam Size	Number Of People Duped
	Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj	INR 90,000 Cr+	1 lakh+
	Satish Kumbhani, Divyesh Darji	INR 41,000 Cr+	NA
	Faruk Fatih Ozer	INR 16,000 Cr+	3,91,000
	Matthew Brent Goettsche	INR 5,500 Cr	NA
	Divyesh Darji	INR 7,000 Cr	NA

1. GainBitcoin Scam (2015–2017)

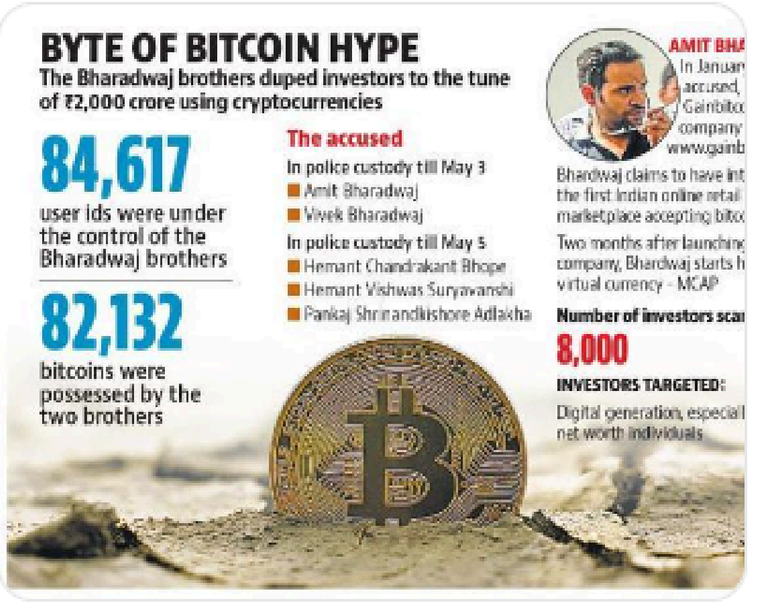

- मुख्य आरोपी: **Amit Bhardwaj**
- अनुमानित घोटाला: **₹2,000 करोड़ से ज्यादा**
- तरीका:
  - लोगों को "Bitcoin mining investment" के नाम पर पैसा लगवाया गया
  - हर महीने 10% रिटर्न का वादा
  - बाद में नई स्कीम **MCAP token** शुरू कर दी
- जांच एजेंसी: **Enforcement Directorate**, **Central Bureau of Investigation**

2. Morris Coin Scam (2020)

- मुख्य आरोपी: **Nishad K**
- घोटाला: लगभग **₹1,200 करोड़**
- तरीका:
  - MLM नेटवर्क बनाकर “नई क्रिप्टो करेंसी” बताकर निवेश करवाया
  - असल में कोई वैल्यू नहीं थी

3. BitConnect Global Scam (भारत में भी प्रभाव)

Some Of The Biggest Global Crypto Scams

Ponzi Schemes	Key Accused	Scam Size	Number Of People Duped
	Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj	INR 90,000 Cr+	1 lakh+
bitconnect	Satish Kumbhani, Divyesh Darji	INR 41,000 Cr+	NA
THODEX	Faruk Fatih Ozer	INR 16,000 Cr+	3,91,000
BitClub	Matthew Brent Goettsche	INR 5,500 Cr	NA
	Divyesh Darji	INR 7,000 Cr	NA

Inc42

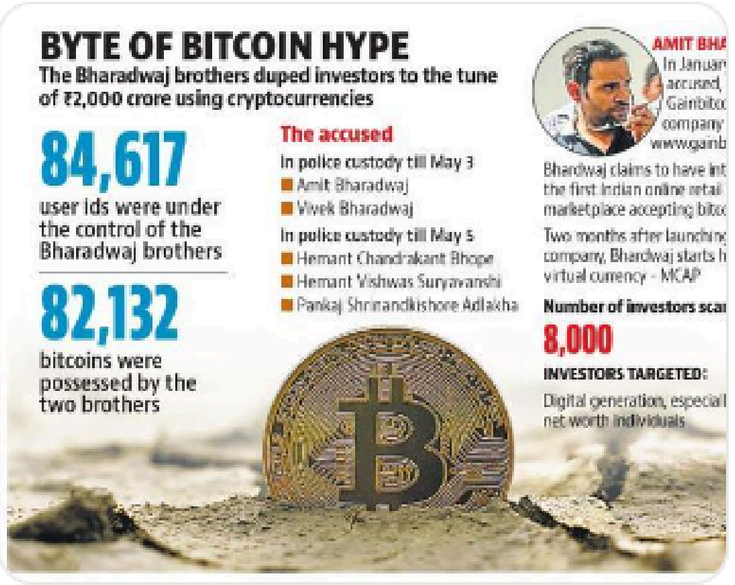

- लॉन्च: 2016
- बंद: 2018
- वैश्विक घोटाला: **$2.4 billion+**
- भारत में भी हजारों निवेशक फंसे
- तरीका:
  - "Crypto trading bot" से रोज़ाना मुनाफे का वादा
  - असल में Ponzi scheme

4. Pluto Exchange / Coin Scam (2021)

Some Of The Biggest Global Crypto Scams

Ponzi Schemes	Key Accused	Scam Size	Number Of People Duped
	Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj	INR 90,000 Cr+	1 lakh+
bitconnect	Satish Kumbhani, Dhyesh Darji	INR 41,000 Cr+	NA
THODEX	Faruk Fatih Ozer	INR 16,000 Cr+	3,81,000
BitClub	Matthew Brent Goettsche	INR 5,500 Cr	NA
	Dhyesh Darji	INR 7,000 Cr	NA

Inc42

- घोटाला: **₹40–50 करोड़**
- तरीका:
  - नकली क्रिप्टो एक्सचेंज बनाकर लोगों से पैसा लिया
  - बाद में वेबसाइट बंद

5. STA Token Scam (2022)

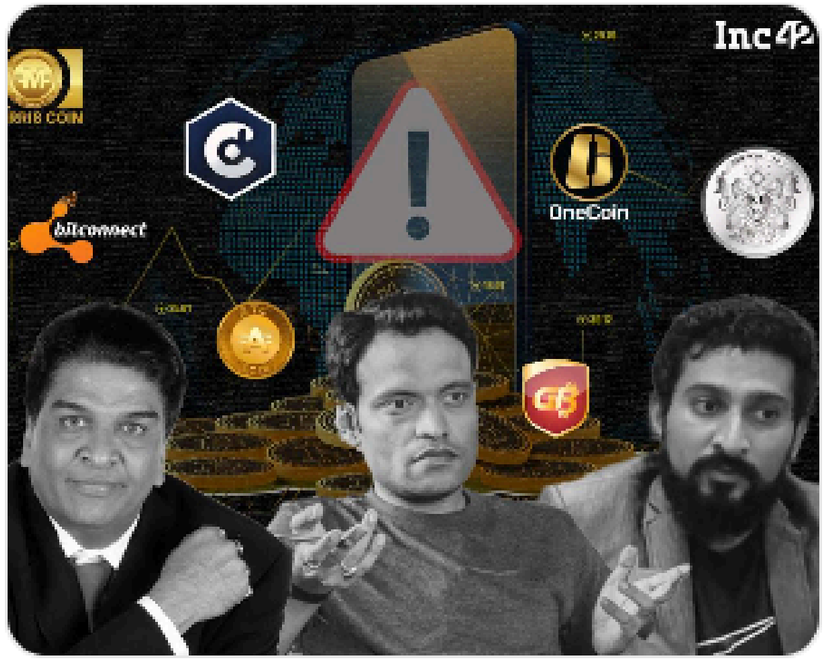

- अनुमानित ठगी: **₹1000 करोड़+**
- तरीका:
  - MLM के जरिए क्रिप्टो टोकन बेचकर निवेश करवाया
  - फर्जी रिटर्न दिखाए गए

XPO

Referral Program

Invite friends, earn commission

भास्कर इन्वेस्टिगेशन ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस का लालच देकर लोगों को झांसे में लिया, सबसे ज्यादा निवेशक राजस्थान से

₹ 3100 करोड़ का साइबर फ्रॉड

20 राज्यों में 3.20 लाख लोग ठगे, सबसे ज्यादा 2 लाख राजस्थान से शिकार, पांचों मास्टरमाइंड भाग चुके दुबई

देवकृष्ण ठाकुर | भरतपुर

क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश के नाम पर चल रहे एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें एक्सपीओ डॉट कॉम नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपये की ठगी की गई। यह नेटवर्क ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस के लालच पर आधारित था, जिसके मास्टरमाइंड विदेश, खासतौर पर दुबई से ऑपरेट कर रहे थे, जबकि भारत में इसका संचालन जयपुर से किया जा रहा था।

जांच में सामने आया है कि सभी मुख्य आरोपियों की लोकेशन दुबई आ रही है। कंपनी भारत में किसी भी प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं थी। वेबसाइट खुद को वर्ष 2016 से रूस में संचालित बताती थी, जबकि वास्तविकता में इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर से शुरू हुआ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर में करीब 3100 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। नेटवर्क का फैलाव 20 से अधिक राज्यों में था, जिसमें सबसे अधिक निवेश राजस्थान से हुआ। यहां 2.07 लाख लोगों ने पैसा लगाया, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 48.53 हजार निवेशक जुड़े। इनमें पुलिसकर्मी, एडवोकेट और सरकारी कर्मचारियों का वर्ग सबसे ज्यादा शामिल रहा है।

कुल मिलाकर 3.20 लाख से अधिक लोगों ने लगभग 7,100 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें से 3100 करोड़ रुपए ऑनलाइन निवेश किया है, जबकि 4000 करोड़ इंटरनल डिपॉजिट होने का अनुमान है। हालांकि इंटरनल डिपॉजिट की अभी जांच चल रही है। इस मामले में पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

रूस के पते पर 2022 से जयपुर से चल रहा गोरखधंधा, अब ईडी ने लिया स्वत: संज्ञान, सीबीआई से जांच को लिखा

साइबर दुनिया के ये पांच बड़े चेहरे : जो अब दुबई भाग चुके हैं

रजत शर्मा | विजय मौर्य | ईश्वर वर्मा | सुरेंद्र सैनी | सुरेंद्र कस्वा

एक्सपीओ पर सबसे पहली आईडी रजत शर्मा की, इसी के खाते में आई रकम

जांच अधिकारी आईपीएस पंकज यादव ने बताया कि एक्सपीओ डॉट कॉम से जुड़े फर्जी निवेश मामले में लोगों के फंसे रुपए लौटाए जाने संबंधी तभी कोई कार्रवाई हो सकती है, जब मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो। प्लेटफॉर्म की सबसे पहली आईडी जयपुर निवासी रजत शर्मा के नाम से बनाई गई थी और निवेशकों के पैसे सीधे उसके बैंक खाते में जाते थे। अधिकारियों के अनुसार, पांचों मुख्य आरोपी दुबई में है और जैसे ही वे भारत लौटेंगे, उसी समय उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी के बाद ही निवेशकों को रिटर्न दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी।

• कैश और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कराते थे निवेश... मुख्य आरोपियों में जयपुर के रजत शर्मा, झुंझुनूं के विजय मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, ईश्वर वर्मा और सुरेंद्र सैनी शामिल हैं। इन्होंने देश भर में सेमिनार की। जिसमें एजेंट ऊंचे मुनाफे और जल्दी रिटर्न का वादा कर निवेशकों को आकर्षित करते थे। शुरुआत में ये कैश और ऑनलाइन दोनों माध्यम से निवेश कराते, कुछ ही दिनों में 1–2 प्रतिशत तक का रिटर्न देकर भरोसा जीतते और निवेशक बड़े अमाउंट में पैसा लगाने लगे। मुख्य आरोपी देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से सीधे संपर्क कर उनके नाम से आईडी बनाते और उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करते थे।

20 से ज्यादा राज्यों में फैला है नेटवर्क

राज्य	प्रभावित लोग
राजस्थान	2,07,728
महाराष्ट्र	48,533
उत्तर प्रदेश	16,402
हरियाणा	14,915
कर्नाटक	10,430
गुजरात	9,057
दिल्ली	8,572
मध्य प्रदेश	7,665
बिहार	6,741
पंजाब	5,758
झारखंड	4,285
ओडिशा	3,033
आंध्र प्रदेश	2,535
छत्तीसगढ़	2,468
प. बंगाल	2,460
तमिलनाडु	2,274
तेलंगाना	2,206
असम	959
उत्तराखंड	922
जम्मू-कश्मीर	746

• ईडी ने लिया सुओ मोटो संज्ञान, सीबीआई जांच की तैयारी... इस बड़े साइबर फर्जीवाड़े में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। भरतपुर पुलिस ने ईडी को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराई है। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है ताकि इस मामले की जांच सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी से कराई जा सके। आरोपियों के खातों को फ्रीज करने के लिए पुलिस ने एससीआरबी (स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) को पत्र लिखा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से निवेशकों के हितों की रक्षा करने और आरोपियों की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

भरतपुर पुलिस की SIT को कुछ आरोपियों के विदेश में होने की भी सूचना है जिससे अनुसंधान करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपराध से अर्जित संपत्ति का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भरतपुर पुलिस द्वारा सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
– दिगंत आनंद, पुलिस अधीक्षक भरतपुर

Go to Settings to activate Windows

प्रदेश में 4.50 लाख लोगों से क्रिप्टो-फॉरेक्स के नाम पर 3500 करोड़ की ठगी

जोधपुर में भी फर्जी कंपनी ने सेमिनारें की, 10 हजार लोगों के 150 करोड़ फंसे

भास्कर एक्सक्लूसिव

कुणाल पुरोहित | जोधपुर

22-11-2025

प्रदेश में क्रिप्टो और फॉरेक्स में निवेश के नाम पर साढ़े चार लाख लोगों से हुई 3,500 करोड़ की ठगी के पीड़ितों में जोधपुर के भी 10 हजार लोग हैं। इन लोगों ने इस फर्जी कंपनी में करीब 150 करोड़ रुपए निवेश किए हैं।

ये कंपनी एक्सपीओ.आरयू नामक वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिये विदेशी बाजारों में निवेश का दावा कर रही थी। जोधपुर में 22 सितंबर को [illegible] स्थित एक होटल में भी ऐसी ही सेमिनार हुई थी। इसमें कंपनी में निवेश करवाने वाले एजेंट को 10% कमीशन का लालच दिया था। [illegible]

शहर के दो शोरूमों पर अब भी 4-5 वाहन बुक

22 सितंबर को सेमिनार के बाहर मर्सिडीज के होर्डिंग लगाए।

एक निवेशक ने बताया कि संचालकों ने लोगों को झांसे में लेने के लिए जोधपुर के महंगे होटलों में सेमिनार किए। [illegible] शहर के दो शोरूमों पर अब भी चार-पांच गाड़ियों की बुकिंग की हुई है। [illegible]

संचालक तो अब भी कह रहे- घबराए नहीं, निवेश करते रहे

[illegible]

अब भी... पचास निवेशकों को अजरबैजान ले जाने की तैयारी

[illegible]

झांसा ऐसा... लोगों ने लोन लेकर किया निवेश

[illegible]

निवेश से पहले कंपनी का बैकग्राउंड चैक करें

अंकित चौधरी, साइबर एक्सपर्ट

[illegible]

XPO-वेबसाइट के जरिए ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार: जयपुर में बैठकर चलाते थे फर्जी वेबसाइट; बाकी के आरोपियों की तलाश जारी

भरतपुर 10 दिन पहले

XPO वेबसाइट के जरिए आरोपी करते थे लोगों से ठगी।

---

30 आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग **निवेशकों से ठगी** • पुलिस ने खाते सीज करने को लिखा, ईडी को भी दी जानकारी

क्रिप्टो व फॉरेक्स में निवेश के नाम पर 20 राज्यों में 3,100 करोड़ का फर्जीवाड़ा, दुबई भागे आरोपी

भरतपुर | क्रिप्टो और फॉरेक्स में निवेश के नाम पर चल रहे एक फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें एक्सपीओ डॉट कॉम नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपये की ठगी की गई। यह नेटवर्क ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस के लालच पर आधारित था, जिसके मास्टरमाइंड विदेश, खासतौर पर दुबई से ऑपरेट कर रहे थे, जबकि भारत में इसका संचालन जयपुर से किया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि सभी मुख्य आरोपियों की लोकेशन दुबई आ रही है। कंपनी भारत में किसी भी प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं थी। वेबसाइट खुद को वर्ष 2016 से रूस में संचालित बताती थी, जबकि वास्तविकता में इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर से शुरू हुआ। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर में करीब 3100 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। नेटवर्क का फैलाव 20 से अधिक राज्यों में था, जिसमें सबसे अधिक निवेश राजस्थान से हुआ। यहां 2.07 लाख लोगों ने पैसा लगाया, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 48.53 हजार निवेशक जुड़े। कुल मिलाकर 3.20 लाख से अधिक लोगों ने लगभग 7,100 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसमें से 3100 करोड़ रुपए ऑनलाइन निवेश किया है, जबकि 4000 करोड़ इंटरनल डिपॉजिट होने का अनुमान है। हालांकि इंटरनल डिपॉजिट की अभी जांच चल रही है। इस मामले में पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस चार-पांच आरोपियों के दुबई भाग जाने की आशंका जता रही है। ये लोग जगह-जगह सेमिनार आयोजित करते और एजेंट ऊंचे मुनाफे और जल्दी रिटर्न का वादा कर निवेशकों को आकर्षित करते थे। मुख्य आरोपी देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों से सीधे संपर्क कर उनके नाम से आईडी बनाते और उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करते थे।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव विभाग को भी रिपोर्ट भेजी

इस बड़े साइबर फर्जीवाड़े में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। भरतपुर पुलिस ने ईडी को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराई है। साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है ताकि मामले की जांच सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी से कराई जा सके। मुख्य आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए पुलिस ने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पत्र लिखा है। जांच अधिकारी आईपीएस पंकज यादव ने बताया कि प्लेटफॉर्म की सबसे पहली आईडी जयपुर निवासी रजत शर्मा के नाम से बनाई गई थी और निवेशकों के पैसे उसके बैंक खाते में जाते थे। अधिकारियों के अनुसार, पांचों मुख्य आरोपी दुबई में है। जैसे ही वे भारत लौटेंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

एक्सपीओ डॉट कॉम मामले में भरतपुर पुलिस की SIT द्वारा वित्तीय व आपराधिक गतिविधियों की गहन जांच जारी है। कुछ आरोपियों के विदेश में होने की भी सूचना है जिनसे अनुसंधान करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को भरतपुर पुलिस द्वारा सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। –दिगंत आनंद, पुलिस अधीक्षक भरतपुर

क्रिप्टो-फॉरेक्स ठगी नेटवर्क से जुड़े हैं झुंझुनूं के तार, सुजड़ौला का पूर्व सरपंच व बख्तावरपुरा का युवक कंपनी के बड़े लीडरों में

42 हजार रुपए निवेश करवा हर माह 6 हजार कमाने का झांसा देते थे, 4 दिन से रकम विड्रो नहीं कर पा रहे निवेशक

27-11-2025

भरतपुर में पकड़े जा चुके हैं पांच आरोपी

भास्कर संवाददाता | झुंझुनूं

नेक्स एग्जीन के बाद एक और कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक्सपीओ नाम की कंपनी ने विदेशी बाजारों में निवेश करवा हर माह 20% रिटर्न देने का झांसा देकर महज तीन साल में जिले के लोगों से करीब 200 करोड़ रुपए ले लिए। इस कंपनी के पांच आरोपी भरतपुर में पकड़े जा चुके हैं। कंपनी के लीडरों में झुंझुनूं जिले के दो लोगों का नाम भी आ रहा है।

एक्सपीओ डॉट कॉम नामक वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए लोगों से निवेश करवाते। मामले का खुलासा होने के बाद जिले में कंपनी के बड़े लीडर भूमिगत हो गए हैं। भास्कर पड़ताल में पता चला कि नेटवर्किंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बना क्रिप्टो और फॉरेक्स में निवेश के नाम पर हर महीने 15% रिटर्न और 5% विशेष लाभांश का झांसा देकर ठगी करते। पुलिस का मानना है कि 3 साल में 3500 करोड़ से ज्यादा ठगे हैं।

भास्कर पड़ताल : तीन साल में झुंझुनूं जिले के करीब 10 हजार लोगों से ले लिए 2 अरब से ज्यादा रुपए

जिले में एक्सपीओ कंपनी ने नेटवर्क की 2022 में शुरुआत की। पिछले दो साल में बड़ी संख्या में युवकों को इससे जोड़ा। युवकों को शामिल करने के लिए मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी महंगी गाड़ियां लेने का सपना दिखाया। जिले में बनाए गए नए लीडरों को मलेशिया, थाईलैंड, दुबई समेत अन्य देशों में छह दिन का विदेश टूर भी करवाते थे और उनके वीडियो दिखाकर नए निवेशकों को फंसाते थे। कंपनी ने 15 से 20 फीसदी रिटर्न हर महीने देने की कई योजना लोगों के सामने रखी। इसमें 42 हजार रुपए निवेश करने पर 6 हजार रुपए हर महीने देने की गारंटी देते थे। नए सदस्य बनाने पर 5 फीसदी अतिरिक्त लाभांश दिया जा रहा था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में अरबों रुपए का निवेश लेकर जाने के बावजूद कंपनी ने यहां कार्यालय तक नहीं खोला। सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए नए लोगों को फंसाया जा रहा था। इस कंपनी में शिक्षक, पुलिसकर्मी आदि भी जुड़े हुए हैं। भरतपुर में कंपनी के पांच लीडरों की गिरफ्तारी के बाद से कंपनी का कामकाज बंद पड़ा है। पिछले चार दिन से निवेशक न तो रकम विड्रो कर पा रहे हैं और न ही नए सदस्य जोड़ पा रहे।

इन्वेस्टमेंट वेबिनार के विज्ञापन में कंपनी से जुड़े झुंझुनूं के विजय मौर्य व सुरेंद्र कस्वा के फोटो। (लाल घेरे में)

नेटवर्क से बड़ा फर्जीवाड़ा : नवंबर 2022 में शुरू हुई कंपनी, 3 साल में 3500 करोड़ से ज्यादा ठगे
पिछले दिनों भरतपुर में एक्सपीओ डॉट कॉम वेबसाइट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर से शुरू हुआ। वेबसाइट पर 4.7 लाख उपयोगकर्ताओं और लगभग 3100 करोड़ रुपए की जमा राशि निकली। वहीं निवेश डिपॉजिट डॉट कॉम नामक दूसरी फर्जी वेबसाइट भी चला रहा था, जिसमें 9000 निवेशकों से 500 करोड़ से अधिक ले चुके। 1000 करोड़ रुपए रिटर्न कर दिया है। अभी लोगों का 2500 करोड़ रुपए फंसे हैं।

इन दो केस से समझें कैसे कंपनी के झांसे में आए

केस 1: पहले 50 हजार लगाए, लालच देकर 8 लाख रुपए का कराया निवेश
झुंझुनूं के सरकारी कार्मिक कुलदीपसिंह को उसके जानकार ने सुजड़ौला के सुरेंद्र के जरिए कंपनी में तगड़ा मुनाफा होने की बात कहकर उसे जोड़ा था। पहले 50 हजार रुपए लगाए। तब हर महीने 8 हजार रुपए आने लगे। इसके बाद 8 लाख रुपए लगा दिए। दो महीने 60-60 हजार रुपए का दो बार लाभांश भी आया। इसके बाद उसे नए सदस्य जोड़ने पर 5 फीसदी का अतिरिक्त लाभांश का झांसा दिया गया। 10 को जोड़ दिया।

केस 2: महीने की कमाई दोगुनी करने का लालच देकर कराया 20 लाख का निवेश
शहर के बगड़ रोड के इलियास ने बताया कि वह महीने में 20 हजार रुपए की कमाई करता है। उसे मोहल्ले के शाहरुख ने कमाई दोगुनी करने का लालच देकर दुबई की कंपनी के सुरेंद्र के जरिए कंपनी में निवेश करवाया। 50 हजार रुपए के निवेश पर 6 हजार रुपए की कमाई के बाद परिचितों से कर्ज लेकर 20 लाख रुपए का निवेश कर दिया। लेकिन अब लाभांश आना बंद हो गया और परिचित रुपए वापस मांग रहे हैं।

एक लीडर भाजपा एससी मोर्चा में पदाधिकारी भी रह चुका

कंपनी की पिछले महीने भरतपुर में हुई सेमिनार में जिन टॉप लीडरों को मोटिवेटर के रूप में बुलाया गया था, उनमें झुंझुनूं जिले के दो जने शामिल हैं। इसमें सुजड़ौला का सुरेंद्र कुमार कस्वा व बख्तावरपुरा का विजय कुमार मौर्य शामिल हैं। ये कंपनी के टॉप लीडरों में शामिल हैं। झुंझुनूं जिले में भी इन दोनों ने कंपनी से काफी लोगों को जोड़ा। भाजपा एससी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके सुजड़ौला निवासी सुरेंद्र कुमार ने कंपनी से जुड़ने के बाद गांव में चर्चा में आए। ये इससे पहले वह 2015 से 2020 तक सुजड़ौला का सरपंच भी रह चुका। वहीं विजय मौर्य पहले फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। उसी दौरान वह कंपनी से जुड़ा। भरतपुर में गिरफ्तारी के बाद कंपनी से जुड़े जिले के लोग भूमिगत हो गए हैं। बड़ी बात तो यह है कि पीड़ित भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

XPO SCAM VICTIMS

S.No.	STATE	DISTRICTS	VICTIMS
1	राजस्थान (Rajasthan) 2,07,728	52	207728
2	महाराष्ट्र (Maharashtra) 48,533	36	48533
3	उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) 16405	75	16495
4	हरियाणा (Haryana) 14915	22	14915
5	कर्नाटक (Karnataka) 10430	31	10430
6	गुजरात (Gujrat) 9057	33	9057
7	दिल्ली (Dilli) 8572	11	8572
8	मध्य प्रदेश (MadhyaPradesh) 7665	55	7665
9	बिहार (Bihar) 6741	38	6741
10	पंजाब (Punjab) 5758	23	5758
11	झारखंड (Jharkhand) 4285	24	4285
12	ओडिशा (Odissa) 3033	30	3033
13	आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) 2535	26	2535
14	छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) 2468	33	2468
15	पश्चिम बंगाल (West Bangal) 2460	23	2460
16	तमिलनाडु (Tamil Naidu) 2274	38	2274
17	तेलंगाना (Telangana) 2206	33	2206
18	असम (Assam) 959	35	959
19	उत्तराखंड (UtraKhand) 922	13	922
20	जम्मूकश्मीर (Jammu & Kashmir) 746	20	746
	Total	**651**	**357782**

- कुल जिले: **651**
- कुल पीड़ित: **3,57,782**

अगर मान लें कि:

- हर जिले में **कम से कम** 1 FIR दर्ज होती है
- कई जगह 1 **से ज्यादा पीड़ित मिलकर अलग-अलग** FIR दर्ज कराते हैं

तो 2–3 महीनों में FIR की संख्या इस तरह बढ़ सकती है:

स्थिति	**अनुमानित FIR**
हर जिले में 1 FIR	651 FIR
हर जिले में 2 FIR	1300+ FIR
हर जिले में 3 FIR	1900+ FIR

लेकिन यदि **पीड़ितों का सिर्फ 0.15% भी FIR दर्ज कर दे**, तो:

$$357782 \times 0.0015 \approx 536$$

यानि लगभग **500 FIR** आसानी से दर्ज हो सकती हैं।

इसका प्रभाव

अगर देशभर में **500+ FIR दर्ज हो जाती हैं**, तो:

1. मामला **राष्ट्रीय स्तर का आर्थिक अपराध** माना जा सकता है
2. **High Court / Supreme Court में clubbing या SIT जांच** की मांग मजबूत हो जाती है
3. जांच एजेंसियां जैसे
   - Enforcement Directorate
   - Central Bureau of Investigation

   को जांच सौंपने की मांग की जा सकती है।

एक महत्वपूर्ण रणनीति

अगर **हर जिले में 2–3 पीड़ित भी FIR दर्ज कर दें**, तो 2–3 महीनों में:

500 से 1500 FIR तक पहुंचना संभव है।

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (जिला): BHARATPUR P.S. (थाना): MATHURAGATE Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0703 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/11/2025 16:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

FIR में लगाई गई प्रमुख धाराएँ

1 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019

(Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019)

इस कानून की धाराएँ अक्सर **investment / ponzi schemes** में लगती हैं।

- **धारा 3** – अनियमित जमा योजना चलाना प्रतिबंधित
- **धारा 5** – ऐसी योजना को बढ़ावा देना / प्रचार करना अपराध
- **धारा 21** – जमा लेने वाली संस्था के खिलाफ दंड
- **धारा 23** – योजना से जुड़े व्यक्तियों पर दंड

👉 इसका मतलब:
यदि कोई कंपनी **रिटर्न का वादा करके पैसा लेती है**, और वह RBI/सरकारी

2 इनामी चिट और धन परिसंचरण योजना (पाबंदी) अधिनियम, 1978

(Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978)

- **धारा 3** – मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाना अपराध
- **धारा 4** – ऐसे स्कीम का प्रचार / सदस्य बनाना अपराध

👉 यह कानून आमतौर पर **MLM / chain system / referral income** वाली योजनाओं पर लगता है।

---

3 भारतीय न्याय संहिता, 2023

(Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

- **धारा 318(4)** – धोखाधड़ी / cheating
- **धारा 112(2)** – सामूहिक अपराध / common intention

1 हर FIR की अलग-अलग जांच शुरू

- हर जिले का **Investigating Officer (IO)** अपनी FIR की जांच शुरू करता है
- पीड़ितों के **बयान दर्ज** किए जाते हैं
- पैसे भेजने के **bank account / UPI / wallet details** जुटाए जाते हैं

👉 इससे पुलिस को **local promoters और leaders** का पता चलता है।

---

2 सबसे पहले स्थानीय एजेंट / रेफर करने वालों पर कार्रवाई

आमतौर पर पुलिस सबसे पहले पकड़ती है:

- जिसने स्कीम बताई
- जिसने पैसा जमा करवाया
- जिसने WhatsApp / meeting से लोगों को जोड़ा

इन लोगों को **आरोपी बनाकर गिरफ्तारी** हो सकती है।

3 बैंक खातों को फ्रीज करना

जब जांच में पता चलता है कि पैसा किन खातों में गया:

- पुलिस बैंक को **account freeze notice** भेजती है
- UPI / wallet transactions रोक दिए जाते हैं

इससे आगे पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है।

---

4 डिजिटल सबूत इकट्ठा करना

पुलिस जब जांच करती है तो ये चीजें जब्त हो सकती हैं:

- मोबाइल फोन
- लैपटॉप
- WhatsApp chats
- investment dashboard / website

इनसे पूरे नेटवर्क का पता चलता है।

5 कई जिलों की FIR आपस में लिंक होना

जब 500 FIR अलग-अलग जिलों में होती हैं तो:

- पुलिस को पता चलता है कि **same company / scheme** चल रही है
- कई जिलों की पुलिस आपस में **information share** करती है
- मुख्य आयोजकों तक पहुंचना आसान हो जाता है।

---

6 चार्जशीट दाखिल करना

जांच पूरी होने पर पुलिस **चार्जशीट कोर्ट में पेश करती** ।

चार्जशीट में शामिल होता है:

- आरोपी की भूमिका
- पैसा किसके पास गया
- कितने पीड़ित हैं

7 राज्य स्तर की जांच एजेंसी जुड़ सकती है

अगर FIR बहुत ज्यादा हो जाएं तो मामला बाद में:

- Crime Investigation Department
- Enforcement Directorate

तक भी जा सकता है।

एक्सपो के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण बात

आज एक्सपो के पीड़ित पूरे देश में **WhatsApp और Telegram ग्रुप्स के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं**। इन ग्रुप्स में लोग:

- स्कीम की पूरी जानकारी शेयर करते हैं
- प्रमोटर्स और ऑर्गनाइज़र्स के नाम जानते हैं
- मनी ट्रायल के बारे में भी काफी जानकारी रखते हैं
- और एक-दूसरे से लगातार अपडेट लेते रहते हैं

जैसा कि डेटा से पता चलता है कि लगभग **3,57,000 से अधिक पीड़ित 20 से ज्यादा राज्यों के 651 जिलों में फैले हुए हैं**।

यदि हर जिले का पीड़ित **अपने जिले में FIR दर्ज कराए**, तो 2–3 महीनों में **500 से ज्यादा FIR एक्सपो के खिलाफ दर्ज होना संभव है।**

लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है

जिस तरह एक्सपो के पीड़ित **WhatsApp और Telegram के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं**, उसी तरह:

- अलग-अलग जिलों के **थानों के Investigating Officers आपस में जुड़े हुए नहीं होते**
- उनका कोई **common WhatsApp या Telegram ग्रुप नहीं होता**
- हर थाने का पुलिस अधिकारी **अपनी FIR को अलग केस के रूप में देखता है**
- और उनके पास पहले से भी कई दूसरे केस होते हैं

इसलिए यह जरूरी नहीं कि:

- हर पुलिस अधिकारी उसी एंगल से केस देखे
- या उसी तरीके से जांच करे जैसा पीड़ित सोच रहे हैं।

इसका क्या मतलब है

इसका मतलब यह है कि:

- हर जिले की FIR की जांच **स्थानीय स्तर से शुरू होगी**
- पुलिस पहले **अपने जिले के प्रमोटर या पैसे लेने वाले व्यक्ति से जांच शुरू करेगी**
- धीरे-धीरे जांच ऊपर के स्तर तक पहुंचेगी।

इसलिए पीड़ितों को क्या समझना चाहिए

पीड़ितों को यह समझना चाहिए कि:

1. **FIR दर्ज होना पहला और सबसे जरूरी कदम है।**
2. जांच का तरीका हर जिले में अलग हो सकता है।
3. सभी केस धीरे-धीरे जुड़कर बड़े स्तर की जांच तक पहुँच सकते हैं।

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

FINAL REPORT

अंतिम प्रपत्र / रिपोर्ट

Under Section 193 B.N.S.S.

(धारा 193 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

IN THE COURT DJ COURT BHARATPUR (के न्यायालय में)

1.District(जिला): BHARATPUR P.S.(थाना): MATHURAGATE Year (वर्ष): 2025
FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0703 Date(दिनाँक): 12/11/2025

2.Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र 01

3.Date 12/01/2026

4.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

5.Type of Final Form/Report(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार): आरोप पत्र

6.If FR Unoccurred(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7.If Charge sheet(यदि आरोप पत्र दाखिल किया): मूल

8.Name of I.O.(जाँच अधिकारी का Pankaj Yadav Rank (पद) : IPS Trainee
No. (सं.): (at the time of charge sheet)(आरोप पत्र दाखिल करते समय)

9.(a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम): Hotam Singh

(b) (ख) Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S.No क्र.सं.	Property Description सम्पत्ति का विवरण	Estimated Value (in Rs.) अनुमानित मूल्य (रु.	P.S. Property Register No. थाना सम्पत्ति रजिस्टर	From whom/ where recovered or seized कहाँ/किससे जब्त/बरामद	Disposal निराकरण

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

1 किस कोर्ट में सुनवाई होगी

आपकी चार्जशीट के **Page 4** पर साफ लिखा है:

"IN THE COURT OF D.J. COURT BHARATPUR" DocScanner 17-Jan-2026 07-28 PM

इसका मतलब:

👉 इस केस की **मुख्य ट्रायल** (Trial) होगी
District & Sessions Court, Bharatpur (DJ Court) में।

यही कोर्ट आगे:

- आरोप तय करेगा
- गवाहों की गवाही लेगा
- सबूत देखेगा
- और अंत में फैसला देगा।

2 यह चार्जशीट किस धारा में दायर हुई

चार्जशीट में लिखा है:

Final Report under Section 193 BNSS DocScanner 17-Jan-2026 07-28 PM

इसका मतलब:

- पुलिस ने जांच पूरी कर ली
- अब केस **Sessions Court** में ट्रायल के लिए भेज दिया गया है।

1 उमराव मल का जमानत आदेश

RJBH010036172025_1_2025-12-06

- केस: **उमराव मल vs राज्य**
- कोर्ट: सेशन न्यायाधीश, भरतपुर
- आदेश दिनांक: **06 दिसंबर 2025**
- धारा:
  - BUDS Act 2019
  - Prize Chits & Money Circulation Scheme Act 1978
  - BNS की धारा 318(4), 112(2)

अभियोजन का आरोप

- **XPO.RU वेबसाइट/एप** के जरिए लोगों को CFD और क्रिप्टो निवेश के नाम पर जोड़ा गया।
- कंपनी भारत में **किसी भी वित्तीय रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है**।
- करीब **3100–4500 करोड़ रुपये की ठगी** सामने आई।
- 1 लाख से अधिक लोग हर महीने वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे थे।

आरोपी की दलील

- वह खुद **निवेशक और पीड़ित** है।
- उसका वेबसाइट या कंपनी से कोई संबंध नहीं है।
- मुख्य आरोपी **अतुल शर्मा** बताया गया।

कोर्ट का निर्णय

- **जमानत खारिज** कर दी गई।

2 कृष्ण कुमार शर्मा और मुकुल का जमानत आदेश

RJBH010035342025_1_2025-12-01

RJBH010035322025_1_2025-12-01

- केस:
  - **कृष्ण कुमार शर्मा vs राज्य**
  - **मुकुल vs राज्य**
- आदेश दिनांक: **01 दिसंबर 2025**

आरोपी की दलील

- दोनों को झूठा फंसाया गया।
- वे केवल **निवेशक हैं, आयोजक नहीं**।
- किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि उसने उन्हें पैसा दिया।
- जब्त जेवरात **शादी के लिए बनवाए गए थे**, अपराध से संबंध नहीं।

अभियोजन का पक्ष

- XPO.RU के माध्यम से निवेश करवाकर लोगों से पैसा लिया गया।
- कंपनी भारत में रजिस्टर्ड नहीं थी।
- **जयपुर से अंकीत अग्रवाल वेबसाइट चला रहा था।**
- मुख्य आरोपी **अतुल शर्मा** बताया गया।
- कई राज्यों से शिकायतें आईं।
- करोड़ों रुपये के **क्रिप्टो ट्रांजेक्शन** मिले।

कोर्ट का निर्णय

- दोनों की जमानत भी खारिज कर दी गई।

3 राकेश कुमार का जमानत आदेश

RJBH010000132026_1_2026-01-17

- केस: **राकेश कुमार vs राज्य**
- आदेश दिनांक: **17 जनवरी 2026**

आरोपी की दलील

- उसका XPO कंपनी से कोई संबंध नहीं।
- उसे केवल सह-आरोपी के बयान के आधार पर फंसाया गया।
- घर से मिले **8.9 लाख रुपये उसकी अपनी कमाई** हैं।

अभियोजन का आरोप

- आरोपी लोगों को XPO में निवेश करने के लिए प्रेरित करता था।
- लगभग **1,70,000 लोगों से निवेश करवाया गया।**
- निवेश करवाने पर आरोपी **कमीशन कमाते थे।**

कोर्ट का निर्णय

- **जमानत खारिज** कर दी गई।

⚖️ इन सभी आदेशों से मुख्य बातें

1. **XPO.RU एक अवैध निवेश योजना बताई गई है।**
2. इसे **क्रिप्टो / CFD निवेश के नाम पर चलाया जा रहा था।**
3. पुलिस के अनुसार इसमें **हजारों करोड़ की ठगी** हुई है।
4. कई राज्यों से शिकायतें आई हैं।
5. अभी तक जिन आरोपियों की जमानत मांगी गई — **सभी की जमानत अदालत ने खारिज कर दी।**

✅ **सरल शब्दों में:**
कोर्ट ने माना कि मामला बहुत बड़ा आर्थिक अपराध है और जांच जारी है, इसलिए अभी आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं है।

📄 हाई कोर्ट में जो केस दिख रहे हैं

स्क्रीनशॉट में ये मुख्य केस दिखाई दे रहे हैं:

1 CRLMB / 2431 / 2026

- आरोपी: **Rakesh Kumar**
- केस प्रकार: Bail Application
- Registration: 05-02-2026

2 CRLMP / 649 / 2026

- आरोपी: **Sandeep Sigar**
- केस प्रकार: FIR Quash Petition
- Registration: 27-01-2026

3 CRLMB / 17140 / 2025

- आरोपी: **Krishan Kumar Sharma**
- Registration: 20-12-2025

4 CRLMB / 16898 / 2025

- आरोपी: **Umrao Mal**
- Registration: 17-12-2025

5 CRLMB / 16814 / 2025

- आरोपी: **Mukul**
- Registration: 16-12-2025

⚖️ इसका मतलब क्या है

1 सेशन कोर्ट ने पहले इनकी बेल रिजेक्ट की थी
इसलिए ये लोग अब **हाई कोर्ट में बेल मांग रहे हैं।**

2 Sandeep Sigar का केस अलग है
वह **FIR ही रद्द (Quash) कराने गया है।**

3 आपने सही कहा —
अगर **4–5 सुनवाई हो चुकी है और बेल नहीं मिली**, तो इसका मतलब:

- कोर्ट को मामला **गंभीर आर्थिक अपराध** लग रहा है
- जांच अभी जारी है
- इसलिए कोर्ट जल्दी बेल नहीं दे रहा

⚠️ एक और महत्वपूर्ण बात

इन ऑर्डर्स और केस-स्टेटस से ये भी पता चलता है:

- पुलिस के अनुसार
  - लगभग **1.5–3 लाख निवेशक**
  - **3000–4500 करोड़ तक की ठगी का शक**

ऐसे मामलों में कोर्ट आमतौर पर **जल्दी बेल नहीं देता**।

📊 अभी केस की स्थिति

संभावना यह है कि:

- केस **Pending / Not disposed** है
- अगली तारीख पर फिर सुनवाई होगी
- जब तक चार्जशीट और जांच पूरी नहीं होती, बेल मिलना कठिन रहता है।

1 पीड़ितों का संगठित डाटा तैयार करें

सबसे पहले **देशभर के सभी पीड़ितों का रिकॉर्ड** एक जगह इकट्ठा करना होगा।

इसमें ये जानकारी होनी चाहिए:

- पीड़ित का नाम
- मोबाइल नंबर
- राज्य / जिला
- कितनी राशि निवेश की
- FIR नंबर / शिकायत नंबर
- बैंक ट्रांजेक्शन / स्क्रीनशॉट
- KYC या ऐप का प्रमाण

📌 इसके लिए समिति **Google Form या Excel Database** बना सकती है।

इससे कोर्ट को यह दिखाया जा सकेगा कि:

- यह **राष्ट्रीय स्तर का घोटाला** है
- हजारों लोग प्रभावित हैं

2 सभी पीड़ितों से FIR दर्ज करवाना

समिति का यह कदम बिल्कुल सही है।

पीड़ितों से कहा जाए कि:

- अपने **नजदीकी थाने में FIR दर्ज करवाएं**
- अगर FIR नहीं हो तो
  - SP ऑफिस
  - साइबर क्राइम पोर्टल
  - कोर्ट में परिवाद

📌 हर FIR की **कॉपी समिति को भेजी जाए**।

यह बाद में PIL में बहुत मजबूत सबूत बनेगा।

3 सभी FIR और सबूत का "डॉसियर" बनाना

अब समिति को एक **कानूनी दस्तावेज** (Dossier) तैयार करना चाहिए जिसमें:

- सभी राज्यों की FIR की सूची
- कुल पीड़ितों की संख्या
- कुल निवेश राशि का अनुमान
- आरोपी लोगों की सूची
- बैंक अकाउंट / क्रिप्टो ट्रांजेक्शन का विवरण
- सुसाइड या सुसाइड अटैम्प्ट के केस

📌 यह दस्तावेज **PIL का आधार बनेगा।**

4 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL

इसके बाद समिति दो रास्ते चुन सकती है:

विकल्प 1

राजस्थान हाई कोर्ट में PIL

मांगें:

- SIT या CBI जांच
- सभी FIR को एक एजेंसी को देना
- आरोपी की संपत्ति जब्त करना
- निवेशकों की पहचान करना

विकल्प 2

सीधे सुप्रीम कोर्ट में PIL

मांगें:

- देशभर की FIR को **एक साथ जोड़कर जांच**
- CBI या ED जांच
- मनी ट्रेल जांच
- पीड़ितों की राशि रिकवर करना

5 संपत्ति जब्ती और मनी ट्रेल

PIL में यह भी मांग हो सकती है:

- आरोपियों की संपत्ति जब्त हो
- बैंक अकाउंट फ्रीज हों
- क्रिप्टो वॉलेट ट्रैक हों
- ED को जांच दी जाए

ताकि पैसा **रिकवर** हो सके।

---

6 विशेष अदालत या विशेष बेंच

समिति की यह मांग भी सही है:

- केस के लिए **फास्ट ट्रैक कोर्ट या विशेष बेंच** बने
- रोज सुनवाई हो

इससे केस सालों तक नहीं चलेगा।

7 पीड़ितों के लिए मुआवजा

PIL में यह मांग भी जोड़ी जा सकती है:

- पीड़ितों के लिए **रिलीफ फंड**
- सरकार द्वारा **अंतरिम सहायता**
- सुसाइड पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा

📢 आंदोलन का अगला चरण

समिति को तीन समानांतर काम करने होंगे:

1 देशभर में FIR करवाना
2 सभी पीड़ितों का डेटा इकट्ठा करना
3 मजबूत PIL तैयार करना